

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक/प्रबन्ध/16735-38

/2018-19 दिनांक:-12/03/19

(कार्यालय-आदेश)

कार्यालय पत्रांक-प्रबन्ध/मान्यता/15702-06/2015-16 दिनांक 21.03.2016 के द्वारा विद्या संस्कार ऐकडमी नेहरू रोड, फलावदा विकास क्षेत्र, मवाना (मेरठ) को नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) को शैक्षिक सत्र 2016-17 से शैक्षिक सत्र 2018-19 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 06.03.2019 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-418/79-6-2013-8 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्राविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए कार्यालय पत्रांक-प्रबन्ध/मान्यता/15702-06/2015-16 दिनांक 21.03.2016 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(सतेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ

पु0सं0/प्रबन्ध/16735-38

/2018-19 दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, विद्या संस्कार ऐकडमी नेहरू रोड, फलावदा विकास क्षेत्र, मवाना (मेरठ)।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ